भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400 096. ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400 096.
Tel: 022-28294728 / 28294756
Fax: 022-28291754, E-mail: dcseepz_mah@nic.in

सत्यमेव जयते

फा.सं.सीप्ज़-सेज़/श्रम/506/2016-17/पार्ट III/01204 **दिनांकः 20/01/2020**

परिपत्र सं. श्रम/20/2019-2020

विषयः अनियत कामगारों को "समान कार्य के लिए समान वेतन" दिए जाने के संबंध में पूर्ववर्ती अनुदेशों तथा माननीय न्यायालय के निर्णयों का अनुपालन किए जाने के संबंध में ।

जैसाकि आप जानते हैं कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अनियत कामगारों के कल्याण तथा उनके हितों का विशेष रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने के प्रति प्रतिबद्ध है ।

इस संबंध में, मंत्रालय द्वारा कामगारों के कल्याण के लिए (माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अनुदेश जारी किए गए हैं) निम्नानुसार उल्लेखनीय पहल की गई है:-

1. जहां अनियत कामगारों तथा नियमित कर्मचारियों को सौंपे गए कार्यों की प्रकृति समान हो, वहां प्रतिदिन 8 घंटे के कार्य के लिए संगत वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 1/30 की दर से अनियत कामगारों से वेतन तथा महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए ।
2. यदि अनियत कामगार द्वारा नियमित कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य से भिन्न कार्य किया जाता हो, तो वहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार अनियत कामगार को श्रम तथा रोजगार अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित न्यूनतम वेतन इसमें जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जाए ।
3. नियमित प्रकृति के कार्यों के लिए दैनिक मजदूरी पर व्यक्तियों (अनियत कामगारों) की भर्ती न की जाए ।

सरकार द्वारा कामगारों के हित तथा कल्याण के लिए उपर्युक्त उपाय किए गए हैं ।

अतएव, आपसे अनुरोध है कि सरकार द्वारा किए गए उपर्युक्त विशेष उपायों को सभी कामगारों के ध्यान में लाएं ।

(सी. पी. एस. चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़

प्रतिः-

1. सभी सीप्ज़ यूनिट तथा प्राइवेट सेज़ यूनिट
2. अध्यक्ष, सीप्ज़ रत्न एवं आभूषण विनिर्माता संघ, बीएफसी बिल्डिंग
3. अध्यक्ष, सीमा, सीप्ज़-सेज़, मुंबई
4. क्षेत्रीय निदेशक, 100% ईओयू तथा सेज़ के लिए ईपीसीईएस
5. आइटी अनुभाग - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए